सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2022-2023

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2022-2023

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2
3.	वर्ष 2022—23 की उपलब्धियां	3
4.	अभाव स्थिति	3
5.	मानसून की स्थिति	4
6.	ओलावृष्टि एवं कोविड—19 की स्थिति	4—5
7.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	5
8.	अतिवृष्टि / बाढ़ की स्थिति	5
10.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	6
11.	राज्य / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	6

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	7
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	8
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	9—10
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	11
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	12
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	13
7.	राज्य आपदा मोचन निधि / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	14—15
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	16
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	17
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	18
11.	अभाव की स्थिति (खरीफ फसल सम्वत 2079)	19—20

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2019–20 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 275.15 लाख हैक्टेयर भूमि में से 117.88 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 85.67 लाख हेक्टेयर (97.12 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में 01 अगस्त, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध ळें

वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) की उपलब्धियाँः–

- विभाग द्वारा प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु कुल 34 ड्रोन क्रय किये गये, जिनमे से 01–01 ड्रोन प्रत्येक जिला कलक्टर को तथा 01 ड्रोन विभागीय मुख्यालय पर उपलब्ध करवाये गये है।
- आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग करने हेतु सचिवालय परिसर में दिनांक 19.12.2021 को राज्य स्तर पर राज्य आपदा परिचालन केन्द्र की स्थापना की गई है।
- विभाग द्वारा कृषि आदान–अनुदान एवं अन्य समस्त राहत सहायता का वितरण DBT के जरिये लाभार्थियों के खातों में किया जा रहा है।
- कोविड–19 से मृतको के विधिक आश्रितों को प्रति मृतक राशि रू. 50,000/– अनुसार आनुग्राहिक सहायता के भुगतान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वित्तीय वर्ष 2022–23 में 42.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।
- राज्य मे नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अग्निशमन दक्षता बढ़ाने हेतु 500 स्वयंसेवकों को 28 दिवसीय ओक्जलरी फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर रू. 115.00 लाख व्यय किया गया।
- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान जयपुर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु ग्राम–दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर मे 10.39 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया।
- सूखे के आंकलन को और अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधारित करने हेतु ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए मोबाइल ऐप NIC जयपुर के माध्यम से तैयार करवाया गया है। ग्राउंड ट्रूथिंग करने हेतु मोबाइल ऐप की लॉचिंग दिनांक 19.12.2021 को की गई।

अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11486–526 दिनाक 21.09.2022 के द्वारा रबी फसल सम्वत् 2078 में ओलावृष्टि के कारण राज्य के 08 जिलों यथा अलवर, बांरा, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, एवं नागौर के 113 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।
2. विभागीय पंत्राक 13405–425 दिनाक 02.12.2022 के द्वारा खरीफ फसल वर्ष 2022 (सम्वत 2079) में बाढ़ के कारण राज्य के 12 जिलों यथा बांसवाडा, बांरा, बून्दी, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर एवं टोंक में फसलो में हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये।
3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13483–508 दिनाक 02.12.2022 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2079 में सूखे के कारण राज्य के जिला पाली की 01 तहसील–पाली को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2022

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 30.06.2022 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक 668.74 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 23.2 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून अवधि के दौरान 1 जून, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः–

क. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर	5
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	अजमेर, बारां, बून्दी, दौसा हनुमानगढ, जालौर, झालावाड, जोधपुर, कोटा, नागौर, सिरोही टोंक एवं उदयपुर	13
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर एवं सीकर	15
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	,	0
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)		0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2022 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11762.14 Mcum की तुलना में 10062.59 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 85.55 प्रतिशत है।

राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 846.16 Mcum की तुलना में 465.32 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 54.99 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 83.50 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2022 को भरा हुआ था।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

राज्य में रबी फसल सम्वत 2078 में ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों यथा अलवर, बांरा, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा एवं नागौर के प्रभावित पात्र काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

कोविड–19

कोविड–19 से मृतको के विधिक आश्रितों को प्रति मृतक राशि रू. 50,000/– अनुसार आनुग्राहिक सहायता के भुगतान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वित्तीय वर्ष 2022–23 में 42.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

पशु संरक्षण गतिविधियाँः –

खरीफ संवत् 2078 में सूखा प्रभावित जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु पशु संरक्षण गतिविधियों यथा पशु शिविर एवं चारा डिपों का संचालन किया गया। बाडमेर जिले में 48514 पशुओं के लिये 482 पशु शिविर एवं 81 चारा डिपों, बीकानेर जिले में 200 पशुओं के लिए 01 पशु शिविर एवं 54 चारा डिपो, जालौर जिले में 665 पशुओं के लिए 10 पशु शिविर एवं 5 चारा डिपों, जैसलमेर जिले में 103228 पशुओ के लिये 1033 पशु शिविर एवं 09 चारा डिपों, चुरू जिलें में पशुओं के लिए 01 चारा डिपों, पाली जिले में 1013 पशुओं के लिए 07 शिविर एवं 70 चारा डिपों, जोधपुर जिलें में 610 पशुओं के लिए 05 पशु शिविर एवं 50 चारा डिपों, सिरोही जिलें में पशुओं के लिए 08 चारा डिपों, नागौर जिलें में 02 चारा डिपों एवं डूंगरपुर जिलें में पशुओं के लिए 17 चारा डिपों खोले जाने की स्वीकृतियां जारी की गई।

बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की जाती है।
2. मानसून वर्ष 2022 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 26 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 68 एवं मकान/दीवार गिरने के कारण 16 व्यक्तियों कुल 110 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको राज्य आपदा मोचन निधि नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की गई है।
3. मानसून वर्ष 2022 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास विभाग शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 8599 कार्यो के लिए 20853.64 लाख रुपये की स्वीकृतियॉ जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलेक्टर को स्थायी निर्देश है कि अग्नि दुर्घटना में होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीडितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जावें। वर्ष 2020–21 में 314.53 लाख रूपयें, 2021–22 में 795.34 लाख रूपये व 2022–23 में 482.22 लाख रूपये (दिसम्बर, 2022 तक) व्यय किया गया है।

अग्नि पीडितों को सहायता हेतु जिला कलक्टर्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 में 7.91 करोड़ रूपयें (दिसम्बर, 2022 तक) का बजट आवंटन किया गया है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय :–राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2022–23 (दिसम्बर, 2022) की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
2019-20	1005.00	335.00	1340.00
2020-21	1481.00	494.00	1975.00
2021-22	1185.00	395.00	1580.00
2022-23 (दिसम्बर 22 तक)	622.20	207.40	829.60
योग	**9897.47**	**3299.47**	**13196.94**

वर्ष 2016–17 से 2022–2023 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट–7 **(A&B)** पर एवं वर्ष 2018–19 से 2022–23 (31 दिसम्बर 2022 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–8 व परिशिष्ट–9 पर उपलब्ध है।

Administrative Setup

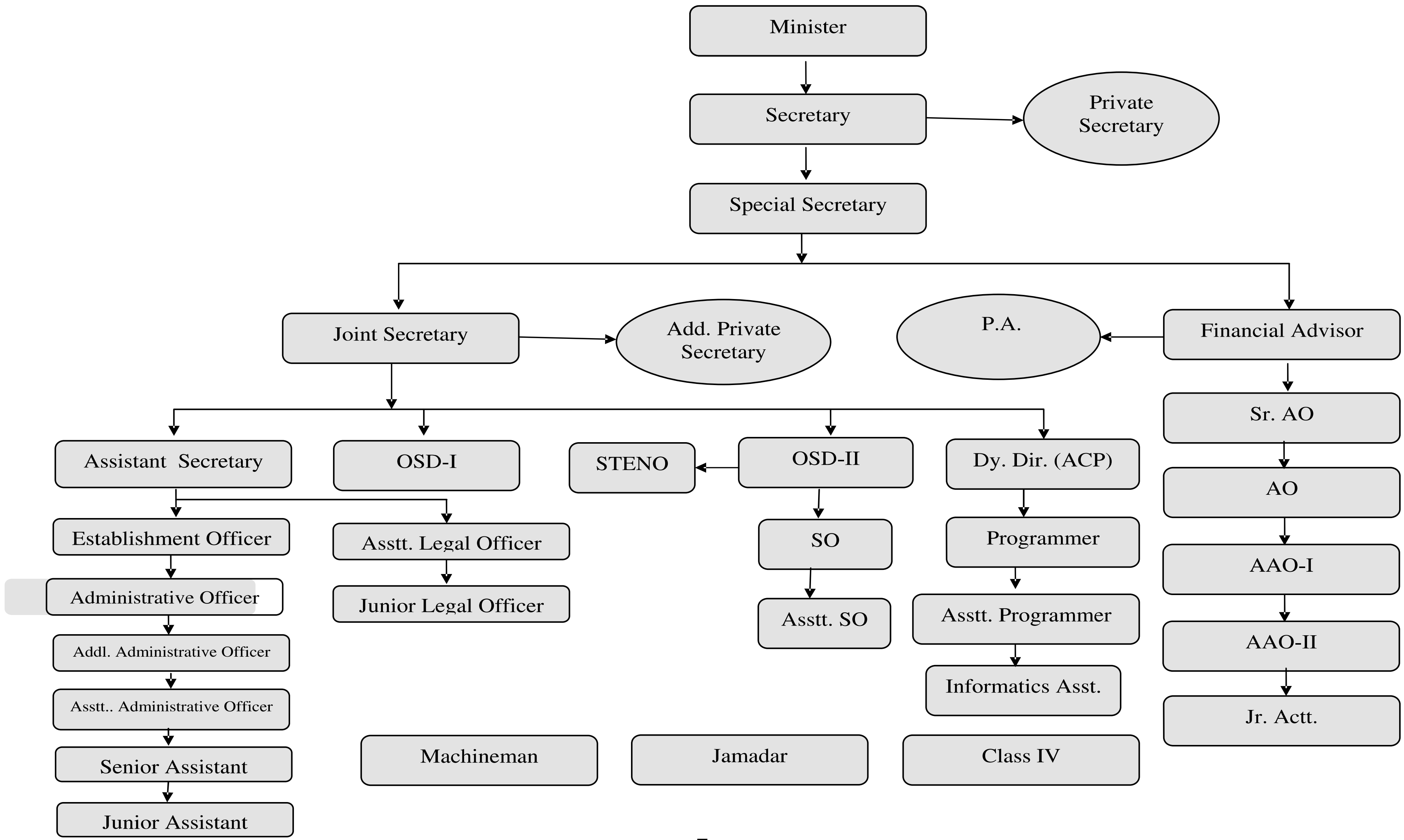

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	शासन सचिव	श्री पी.सी. किशन	28.10.2022
2	विशिष्ठ शासन सचिव	रिक्त	
3	शासन उप सचिव	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	24.04.2022
4	वित्तीय सलाहकार	श्री एन. एल. शर्मा	25.09.2019
5	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	डॉ. प्रभा व्यास	01.03.2021
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
		श्री बीरबल मीणा	16.11.2022
7	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	रिक्त	
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्रीमती ज्योति नागर	20.10.2022
9	संस्थापन अधिकारी	रिक्त	
10	सहायक विधि परामर्शी	श्रीमती शालिनी पाण्डेय	25.07.2022
11	लेखाधिकारी	श्रीमती प्रतिभा निमेश	10.03.2019
12	सांख्यिकी अधिकारी	श्री मक्खन लाल खटीक	30.08.2022
13	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
14	अतिरिक्त निजी सचिव	रिक्त	
15	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री शंकर लाल मीणा	15.12.2016
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
16	प्रशासनिक अधिकारी	रिक्त	
17	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	श्री घनश्याम मीना	18.08.2021

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	शासन सचिव	01	01	–
2	विशिष्ठ शासन सचिव	01	–	01
3	शासन उप सचिव	01	01	–
4	वित्तीय सलाहकार	01	01	–
5	सहायक शासन सचिव	01	01	–
6	निजी सचिव	01	01	–
7	विशेषाधिकारी	02	02	–
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	–	01
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	–
10	संस्थापन अधिकारी	01	–	01
11	सहायक विधि परामर्शी	01	01	–
12	लेखाधिकारी	01	01	–
13	प्रोग्रामर	01	01	–
14	सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
15	अति.निजी सचिव	01	–	01
16	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	02	02	–
17	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01
18	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	05	02	03
19	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
20	सहायक प्रोग्रामर	01	01	–
21	अति.प्रशासनिक अधिकारी	04	01	03
22	कनिष्ठ लेखाकार	04	03	01
23	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	–	01
24	सूचना सहायक	02	01	01

25	निजी सहायक	01	01	—
26	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03
27	शीघ्र लिपिक	02	—	02
28	वरिष्ठ सहायक	07	07	—
29	कनिष्ठ सहायक	07	06	01
30	मशीनमैन	01	01	—
31	जमादार	03	03	—
32	सहायक कर्मचारी	09	05	04
	कुल	**73**	**50**	**23**

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग बजट मद से जिला मुख्यालय पर स्वीकृत पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	27	22	05
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	—
3	वरिष्ठ सहायक	07	07	—
4	कनिष्ठ सहायक	21	18	03
	कुल	60	52	08

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)
राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट—5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन (राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

परिशिष्ट–6

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन (सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगे:–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7 (A)

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/ NDRF 2016-17	SDRF/ NDRF 2017-18	SDRF/ NDRF 2018-19	SDRF/ NDRF 2019-20	SDRF/ NDRF 2020-21	SDRF/ NDRF 2021-22	SDRF/ NDRF 2022-23 (Upto 31-12-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) SDRF							
Opening Balance	209.40	326.05	83.27	670.76	2096.22	2584.44	2468.82
Central Share in SDRF	868.50	912.00	861.98	1100.77	1481.00	1185.00	622.20
State Share in SDRF	289.50	304.00	319.25	335.00	494.00	395.00	207.40
Received from Interest	22.17	50.08	58.69	42.12	143.67	181.07	45.57
Received from GOI	990.82	301.65	832.26	1164.99	853.25	-	13.46
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	-	31.50	-	-	-	-
Total Funds Available (A)	**2380.39**	**1893.78**	**2186.95**	**3313.64**	**5068.14**	**4345.51**	**3357.45**
Expenditure (B)	**2054.34**	**1810.51**	**1516.19**	**1217.42**	**2109.81**	**1887.38**	**1123.74***
Adjustment of Disbursement Amount	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.11**	**10.69**	**-**
Total Funds available Under SDRF& NDRF (Closing Balance)	**326.05**	**83.27**	**670.76**	**2096.22**	**2979.44**	**2468.82**	**2233.71**

***Amount of Allotment**

परिशिष्ट–7 (B)

POSITION OF SDRF/NDRF

(B) SDMF							SDMF/ NDMF
Opening Balance/T.E	-	-	-	-	-	-	395.00
Central Share	-	-	-	-	-	-	296.20
State Share	-	-	-	-			98.80
Received From Interest	-	-	-	-	-	-	-
Received From NDMF	-	-	-	-	-	-	-
Total Funds Available Under SDMF	-	-	-	-	-	-	790.00
Expenditure	-	-	-	-	-	-	-
Closing Balance	-	-	-	-	-	-	790.00

Note- SDMF Start Year 2022-23

परिशिष्ट–8

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2019–2020	वर्ष 2020–2021	वर्ष 2021–2022	वर्ष 2022–2023 (दिनांक **31-12-2022** तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुग्रह सहायता	-	-	-	-	-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	726.32	742.47	937.08	416.47	4037.57
3	चारा परिवहन	-	468.61	482.01	-	-
4	पशु पोषण केन्द्र	-	45.11	-	-	-
5	पशु शिविर/गौशाला	2439.37	3545.75	719.21	977.34	1497.59
6	आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण	-	-		-	423.57
7	दवाओं की पूर्ति	-	-		-	-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-	-		-	-
9	अग्नि सहायता	369.25	567.00	314.53	795.34	812.09
10	सर्च एवं रेस्क्यू व सयंत्र	37.74	1452.05	16575.87	1902.89	72.39
11	कीट पतंगा	-	-	15.29	-	-
11	कृषि आदान अनुदान	150885.87	30794.68	18652.38	73054.04	54081.62
12	आपात परिचालन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन योजना	-	-	72.21	458.38	23.90
13	प्रशिक्षण	-	24.69	157.31	283.33	105.68
14	अन्य सहायता	18.24	963.70	279.49	(-)8.35	-
	योग	**154476.79**	**38604.06**	**38205.38**	**77879.44**	**61054.41**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष				
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (दिनांक **31-12-2022** तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन	6.64	177.50	1.92	7469.23	386.06
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-	4.78	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	-	3310.98	11416.20	5784.81	13862.29
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	488.01	319.69	341.95	334.43	700.00
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	12.80	1.33	301.82
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	-	-	-	-	4.29
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	279.00	550.77	160	172.06	440.00
11.	घरों की मरम्मत	124.54	3397.53	245.02	2372.14	2288.69
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	2212.01	3045.85	14719.82	4605.29	2325.69
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	(-)7272.24	53261.41	29481.58	23935.97	25161.68
14	डिसिल्टिंग	-	-	-	-	-
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	26.56	(-) 3.19	22.62	32.26	14.62
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	1179.32	129.49	739.19	785.18	1434.71
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	98.25	-	-	-	-
18.	अन्य सहायता अंगभंग गम्भीर चोट एवं आवश्यक वस्तुए	-	-	5.54	-	200.13
19	शीतलहर से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	-	350.64	728.69	-	-
20	कीट पंतगा आक्रमण से प्रभावितो को कृषि आदान अनुदान	-	12146.85	2259.75	90.03	-
21	महामारी (कोविड–19)	-	6510.67	112640.65	65271.72	4200.00
	योग	**(-)2857.91**	**83138.19**	**172775.73**	**110859.23**	**51319.98**

List of Nodal Departments

S.No.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population

परिशिष्ट–11(अ)

फसल खरीफ सम्वत् 2079 (वर्ष 2022) में बाढ से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	फसल खराबे से प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू–राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बांसवाडा	1550	717	7.43	284485	231354	93210	717	0	0	833	23049	0	0	7.17
2	बांरा	1253	1231	11.86	367623	325381	167998	51	1180	0	0	127524	0	0	7.68
3	भरतपुर	1586	602	0.00	409900	282933	126705	78	198	326	355	21910.5	0	0	0
4	बूंदी	894	517	5.54	327542	242907	78097	96	412	9	377	6204.08	0	0	6.26
5	धौलपुर	545	58	0.46	109561	8452.09	4744.87	0	0	58	0	2178.72	0	0	0.30
6	श्रीगंगानगर	3059	0	0.00	958737	601537	20.56	0	0	0	2	38.5	0	0	0
7	झालावाड़	1640	1597	13.31	387184	351910	345949	0	1597	0	0	148835	0	0	9.29
8	करौली	903	13	0.06	210905	158964	919.21	10	2	1	0	289.36	0	0	0
9	कोटा	963	766	8.42	299805	252173	135025	127	552	87	1	667940	0	0	4.63
10	नागौर	347	347	6.48	328946	283140	282406	205	142	0	0	42906	0	0	2.46
11	सवाई माधोपुर	298	14	0.11	11612	7531	2838	4	3	7	12	550.75	0	0	0.06
12	टोंक	1222	716	7.40	543482	314747	228482	158	400	158	414	74376.6	0	0	6.50
योग		**14260**	**6578**	**61.07**	**4239782**	**3061029**	**1466395**	**1446**	**4486**	**646**	**1994**	**1115803**	**0**	**0**	**44.35**

परिशिष्ट– 11(ब)

फसल खरीफ सम्वत् 2079 (वर्ष 2022) में सूखे से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	फसल खराबे से प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पाली	92	91	2.36	109621	68124	66799	0	2	89	1	68324	0	0	0.68
योग		92	91	2.36	109621	68124	66799	0	2	89	1	68324	0	0	0.68